न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–145/2019

दहाडी यादव एवं अन्य..वादीगण

बनाम

प्रमोद यादव एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
29.09.2022	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 तथा दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 मुन्नीलाल चौधरी की मृत्यु दिनांक 06.05.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–02 मुन्नीलाल चौधरी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि मु0 कुंती देवी एवं दो लड़के राधामोहन चौधरी तथा ब्रजकिशोर चौधरी तथा दो लड़की फुलनी देवी एवं सुशीला देवी को छोड़कर मरे है। राधामोहन चौधरी इस मुकदमा में पूर्व से प्रतिवादी सं0–03 के रूप में है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–02 मुन्नीलाल चौधरी का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 मुन्नीलाल चौधरी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। विलंब माफी हेतु वादीगण की ओर से अलग से आवेदन दिया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद करें तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 03.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	